1165

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-2/अ॰ प्र॰ - 1-358/09 • 7155 (अ०)   पटना, दिनांक- 9.09.09

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
मुख्य अभियंता (मु०)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

विषय- राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य मे सुविधान प्रदान करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग का संकल्प 1399 दिनांक-31.1.08

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-1399 दिनांक-31.1.08 द्वारा राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित और बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण काय में सुविधान प्रदान किया गया है जिसे ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी अंगीकृत किया गया है।

पुन: पथ निर्माण की संकल्प सं0-1399 दिनांक-31.1.08 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि इस मामले में अग्रतर कार्रवाई इस पत्र के आलोक में किया जाय।

अनु0-यथावत् ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 7/9/09
मुख्य अभियंता (मु०) ।

मुनेश्वर/7.9.09

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग ।

संकल्प

विषय :- राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/वेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में ।

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञाप संख्या-254 दिनांक 24.02.1986 द्वारा अनियोजित अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने के संबंध में निदेश था । वर्ष 1986 में निर्गत निदेश एवं बीस वर्षो से अधिक अन्तराल में विकास कार्यो के क्रियान्वयन में हुए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी कार्य विभागों में अनियोजित/वेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि :-

(1) अनियोजित अभियंताओं को कार्य विभाग के अन्तर्गत ठीकेदारी निबंधन श्रेणी - 3 (तृतीय) के तहत् निबंधन कराना होगा ।

(2) अनियोजित अभियंता किसी भी कार्य विभाग के अन्तर्गत एक कार्य अंचल में कार्य ले सकेंगे और वही अंचल उनका कार्यक्षेत्र होगा ।

(3) अधीक्षण अभियंता 20 (बीस) लाख रूपये तक की राशि के कार्यों को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगे । इस हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अपने अंचलाधीन गैर-योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कार्य कर्णांकित किया जायेगा । अन्य कार्य विभाग के कार्य अंचलो द्वारा योजना/गैर-योजना शीर्ष में 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कार्य कर्णांकित किए जायेंगे ।

(4) अधीक्षण अभियंता/अनियोजित अभियंताओं के बीच कार्य का बंटवारा उनके बीच समिति निविदा के माध्यम से करेंगे । अनियोजित अभियंताओं की निविदा में मात्र वित्तीय निविदा प्राप्त की जायेगी । कार्य चालू अनुसूचित दर से अधिक दर पर आवंटित नहीं किये जायेंगे ।

(5) जिस कार्य अंचल के लिए अनियोजित अभियंता पंजीकृत नहीं होंगे उनमें कार्यो का आरक्षण (Reservation) नहीं होगा ।

(6) यदि निविदा देने वाले एक से अधिक सफल अनियोजित अभियंताओं का उद्धृत/अंकित दर समान होगा तो निविदा का आवंटन उनके बीच लॉटरी द्वारा किया जायेगा ।

(7) यदि दो बार आमंत्रित निविदा में अनियोजित अभियंता से निविदा प्राप्त नहीं होता है अथवा उनसे अनुमान्य दर पर निविदा प्राप्त नहीं होता है तब तीसरी वार खुली निविदा की जायेगी।

(8) अनियोजित अभियंताओं से आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र एक प्रतिशत ली जायेगी जिसमें बैंक गारण्टी भी अनुमान्य होगी। जमानत की शेष 9 (नौ) प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(9) अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ का कार्य पूरा करने का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें सामान्य संवेदक समझा जायेगा तथा उन्हें उपरोक्त सुविधायें नहीं दी जायेंगी और उन्हें अन्य ठीकेदारों की तरह माना जायेगा।

(10) अनियोजित अभियंता को निविदा देते समय यह शपथ–पत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने कहाँ से और किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा वे अब तक अनियोजित हैं। शपथ–पत्र गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(11) आवेदन पत्र :– इच्छुक अनियोजित अभियंता परिशिष्ट–क में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट – ख में उल्लिखित निबंधन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

<u>नोट</u> :– तदनुसार कार्य विभाग अनियोजित अभियंताओं को अपने विभाग के अन्तर्गत निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' अलग से निर्गत करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 31/1/08
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र0–6/नियम–03–03/2001– 1399 (S) पटना, दिनांक 31-1-08

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० 31/1/08
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र0–6/नियम–03–03/2001– 1399 (S) पटना, दिनांक 31-1-08

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र0–6/नियम–03–03/2001– 1399 (S) पटना, दिनांक 31-1-08

प्रतिलिपि प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा0), पथ निर्माण विभाग/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव (प्रा0), पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट –'क

(केवल ग्रामीण कार्य विभाग के व्यवहार्थ)'

अनियोजित अभिंताओ के निबंधनकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम ,पिता का नाम :–

उनकी राष्ट्रीयता ,जन्मतिथि एवं पुरा पता

2. शैक्षनिक योग्यता :–

डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण– पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।

3. अंचल जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैः–

4. निबंधन शूल्क जमा करने के संबंध में विवरणीः–

5. बैक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक............................ मूल्य.......................................

बैंक का नाम :–

विवरणीः–

1. अनियोजित अभियंता वैसे अंचल में निबंधन कराने के हकदार नहीं होगे जिसमें उनके नजदीकी संबधी प्रमडलीय लेखापाल या कनीय अभियंताओ से अन्यन पंक्ति के पदाधिकारीके रूप में कार्यरत है । इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा।

2. नजदीकी संबंधी पद सं तात्पर्य है /पति /पत्नी/ माता /पिता /भाई अथ्वा बहन 3 मै प्रमाणित करता हूॅ कि मेरा नाम ठीकेदार के रूप में विभाग /अन्य कार्य विभाग में अभी किसी वर्ग में सवेदक / फर्म /प्रा0लि0 कम्पनी में साझीदार के रूप में निबंधित नहीं है।

तिथिः–

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

महत्वपुर्ण सूचनाये

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करेः—

1. PANकार्ड की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
3. Address proof sजो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो ।
4. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो
5. नियोजित नहीं है एवं संवेदक के किसी श्रेणी में निबंधित नही है ,के संबंध में शपथ पत्र
6. 25000/—(पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट,जो अवर सचिव ,ग्रामीण कार्य विभाग ,बिहार,पटना के पदनाम से हो तथा जो स्थानीय बैक में भुगतेय हो ,मुल रूप मे संलग्न करें।

कार्यालय उपयोग के लिए

उपर्युक्त अनियोजित अभियंता श्री ....
पताः—..
....का श्रेणी अ0प्र0/श्रेणी—03(तृतीय)........................
का कार्यक्षेत्र/अंचल.. के लिये निबंधन दिनांक
....से .... तक के लिए (डिमांड ड्राफ्ट सं0............................दिनांक.................................... रूपये .... बैंक का नाम .... के विरूद्ध) किया गया ।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी /निबंधन
करने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर(मुहर सहित)

परिशिष्ट –'ख'

पत्रांक –.. दिनांक :–..

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

अनियोजित अभियंता का निबंधन प्रमाण–पत्र

श्री...

पता ....

....

....

को श्रेणी अ0प्र0 / श्रेणी –03(तृतीय)... का कार्यक्षेत्र / कार्य अंचल....... .... के लिए अवधि तक दिनांक .... तक के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन सूचीकृत किया जाता हैं

दिनांक...

(आवेदक का हस्ताक्षर)

सक्षम पदाधिकारी /
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षरी (मुहर सहित)